

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 8086/2025

Rampratap S/o Sh. Shanker Lal, Aged About 63 Years, Chak
6Nzp, At Present 11Tk, Tehsil Raisingnagar, Dist Sri Ganganagar.

-----Petitioner

Versus

Shivratan S/o Sh. Amilal, R/o 32 Np, Tehsil Raisinghnagar, Dist.
Sri Ganganagar.

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. VK Bhadu

For Respondent(s) : -

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT
Order

27/08/2025

विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से यह रिट याचिका विद्वान सिविल न्यायाधीश रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) के आक्षेपित आदेश दिनांक 17.03.2025, जिसके द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 16 नियम 1 (3) सपठित धारा 151 सीपीसी गवाह से दस्तावेज तलब करने बाबत खारिज किया गया है, उस आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

बहस एडमिशन सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से यह निवेदन किया गया कि प्रतिवादी का यह बचाव है कि वादी की आर्थिक स्थिति 50,000/-रुपये की रकम अदा करने की नहीं है और दस्तावेज फर्जी तैयार किया गया है। हैसियत के संबंध में प्रश्न पूछने पर गवाह द्वारा जहां से रकम लाई जाना बताई गई है, उसे तलब करवाना चाहते हैं।

इस संबंध में विचार किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 17.03.2025 का अवलोकन किया गया।

वाद पत्र की प्रति पत्रावली पर पेश की गई है, जिस पर विचार किया गया और प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र वादी पर विचार किया गया। इस स्टेज पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 17.03.2025 प्रथम दृष्ट्या ही विधिसम्मत प्रतीत होता है। अतः यह रिट याचिका एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज की जाती है। तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र का भी निस्तारण किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J